14 जनवरी, 2011 को पूर्वाह्न 10.30 बजे कमरा नंबर 47, उद्योग भवन में आयोजित की जाने वाली अनुमोदन बोर्ड की 44वीं बैठक के लिए एजेंडा

मद संख्या 44.1 : विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए प्रस्ताव

क्र. सं.	विकासक का नाम	लोकेशन	क्षेत्र	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि पर कब्जा	एसजीआर *	आवेदन की स्थिति
i.	मैसर्स महिंद्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड	ग्राम कलवारा, तहसील सांगनेर, जिला जयपुर, राजस्थान	रत्न तथा आभूषण	10.1360	हां	हां	नया
(ii)	मैसर्स महिंद्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड	ग्राम कलवारा, तहसील सांगनेर, जिला जयपुर, राजस्थान	सॉफ्टनेयर औरा हार्डवेयर विनिर्माण सहित आईटी / आईटीईएस	33.2545	हां	हां	नया

*राज्य सरकार की सिफारिश

मद संख्या 44.2 : सैद्धांतिक अनुमोदन को औपचारिक अनुमोदन में परिवर्तित करने के लिए प्रस्ताव

क्र. सं.	विकासक	स्थान	क्षेत्र	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अभ्युक्तियां
1	कर्नाटक आद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी)	देवनहल्ली तालुक, बंगलौर देहात जिला, कर्नाटक	एयरोस्पेस उद्योग	102	22 जून, 2007 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। एलओए 26 जुलाई, 2007 को जारी किया गया था। विकासक ने 102 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में सैद्धांतिक अनुमोदन को औपचारिक अनुमोदन में परिवर्तित करने के लिए अनुरोध किया था। भूमि पर विकासक का कब्जा है। कर्नाटक सरकार ने भी औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने के प्रस्ताव की सिफारिश की है।

मद संख्या 44.3 : सह विकासकों के लिए अनुरोध

(i) मैसर्स महिंद्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड द्वारा कलवारा गांव के पास, सांगनेर तहसील, जयपुर जिला, राजस्थान में आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स विप्रो लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स महिंद्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड द्वारा 76.10 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में जिला जयपुर, राजस्थान में आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को 10 अप्रैल 2007 को अधिसूचित किया गया था। इसके बाद, 27 मार्च, 2008 को 78.92 हेक्टेयर का क्षेत्रफल भी अधिसूचित किया गया जिससे कुल अधिसूचित क्षेत्रफल 155.02 हेक्टेयर हो गया। मैसर्स विप्रो लिमिटेड ने एसईजेड के 23.46 एकड़ (9.5 हेक्टेयर) के क्षेत्रफल में प्रासंगिक सुविधाओं के साथ आईटी / आईटीईएस अवसंरचना के विकास के लिए सह विकासक बनने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। विकासक और सह विकासक के बीच सह सह विकासक करार दिनांक 26 अगस्त 2010 उपलब्ध कराया गया है। सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ पुन: प्रस्तुत है।

(ii) पनवेल, जिला रायगड़, महाराष्ट्र में मैसर्स सन्नी विस्टा रियाल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किए जा रहे बहु सेवा एसईजेड में सह विकास के लिए मैसर्स एक्क्यू रियाल्टी प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स सन्नी विस्टा रियाल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 139.83 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में पनवेल, जिला रायगड़, महाराष्ट्र में बहु सेवा के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को 19 फरवरी 2009 को अधिसूचित किया गया था। मैसर्स एक्वव्यू रियाल्टी प्राइवेट लिमिटेड ने उपर्युक्त एसईजेड के 4.72 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आइकॉनिक टॉवर / सर्विस अपार्टमेंट्स / होटल के विकास के लिए सह विकासक बनने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। विकासक और सह विकासक के बीच सह विकासक करार दिनांक 04 अप्रैल, 2010 उपलब्ध कराया गया है। सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ पुन: प्रस्तुत है।

(iii) राजीव इंफोटेक पार्क, प्लॉट नंबर 28, हिंजवाड़ी, फेज 2, पुणे, महाराष्ट्र में मैसर्स आकृति इंफो पार्क्स (पुणे) लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स डीएलएफ यूटिलीटीज लिमिटेड का अनुरोध

राजीव इंफोटेक पार्क, प्लॉट नंबर 28, एमआईडीसी, हिंजवाड़ी, फेस 2, पुणे, महाराष्ट्र में 10.33 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स आकृति इंफो पार्क्स (पुणे) लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किया जा रहा क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड 14 सितंबर, 2007 को अधिसूचित किया गया था। मैसर्स डीएलएफ यूटिलिटीज लिमिटेड ने एकल स्रोत पर विद्युत प्रदान करने तथा उक्त एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में वाष्प अवचूषण मशीनों का प्रयोग करके चिल्ड वाटर का उत्पादन करने के लिए एनर्जी सेंटर स्थापित करके गैस टर्बाइन आधारित विद्युत उत्पादन सेट संस्थापित और शुरू करने के लिए एक सह उत्पादन संयंत्र स्थापित करने के लिए उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। 09 अप्रैल, 2010 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में अनुरोध पर विचार किया गया तथा नए विद्युत दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिए जाने तक आस्थगित कर दिया गया था।

नए विद्युत दिशानिर्देशों को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है। तथापि, मैसर्स डीएलएफ यूटिलिटीज लिमिटेड ने यह कहते हुए अपने अनुरोध पर विचार करने का अनुरोध किया है कि उसे डीएलएफ के 4 आईटी / आईटीईएस एसईजेड (अर्थात चेन्नई, हैदराबाद में एक-एक और गुड़गांव में दो) में गैस आधारित जेनसेट के माध्यम से प्रसंस्करण क्षेत्र में सह उत्पादन के लिए सह विकासक का दर्जा प्रदान किया जा चुका है। इसके अलावा, यह उपर्युक्त विद्युत उत्पादन सुविधा के लिए उपकरणों का आयात कर चुका है जिनको सह विकासक का दर्जा न मिलने के कारण कस्टम बांडेड मालगोदाम में रखा गया है। कंपनी उपकरणों पर दैनिक आधार पर भारी विलंब-शुल्क वहन कर रही है। कंपनी द्वारा प्रस्तुत विस्तृत औचित्य अनुबंध 1 के रूप में संलग्न है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 44.4 : अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध

(i) ग्राम संथल, तालुक सनंद, जिला अहमदाबाद, गुजरात में आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स मायरॉन रियाल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

ग्राम संथल, तालुक सनंद, जिला अहमदाबाद, गुजरात में 10.68.62 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स मैसर्स मायरॉन रियाल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड 11

सितंबर, 2009 को अधिसूचित किया गया था। विकासक ने गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में निम्नलिखित अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध किया है :

क्र. सं.	अधिकृत प्रचालन	यूनिटों की संख्या	यथालागू एफएसआई / एफएआर मानदंड के अनुसार प्रति यूनिट क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	कुल क्षेत्रफल (वर्गमीटर में) / क्षमता (मेगावाट में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	सर्विस अपार्टमेंट	72	66.85	4813.2
		48	60	2880
		28	60	1680
			कुल	9373.2 वर्गमीटर
2.	स्कूल			
(क)	क्लासरूम	56	59.45	3329.2
(ख)	गतिविधि कक्ष - टाइप 1	7	116.50	815.5
(ग)	गतिविधि कक्ष - टाइप 2	7	115.70	809.9
(घ)	कर्मचारी कक्ष - टाइप 1	7	44.38	310.66
(ङ)	कर्मचारी कक्ष - टाइप 2	7	25.36	177.52
(च)	शौचालय ब्लॉक	7	82.36	576.52
(छ)	कोरिडोर	7	162.50	1137.50
			कुल	7156.8
3.	प्रशिक्षण संस्थान			
(क)	क्लासरूम	96	66.5	6384
(ख)	गतिविधि कक्ष - 1	8	85.8	686.4
(ग)	गतिविधि कक्ष - 2	8	110	880
(घ)	कर्मचारी कक्ष - टाइप 1	8	33.6	268.8
(ङ)	कर्मचारी कक्ष - टाइप 2	8	26.75	214
(च)	शौचालय ब्लॉक	8	134.4	1075.2
(छ)	कोरिडोर	8	181.45	1451.6
(ज)	मल्टीपर्पज रूम	1	1370	1370
			कुल	12330 वर्गमीटर

विकास आयुक्त, केएएसईजेड की ग्राह्य मात्रा, पहले अनुमोदित की चुकी मात्रा और संस्तुत मात्रा को दर्शाने वाली रिपोर्ट अनुबंध 2 के रूप में संलग्न है।

(ii) अहमदाबाद, गुजरात में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स कलिका कंस्ट्रक्शन एंड इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अहमदाबाद, गुजरात में 10.43.10 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स कलिका कंस्ट्रक्शन एंड इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड 8 मई, 2009 को अधिसूचित किया गया था। विकासक ने गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में निम्नलिखित अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध किया है :

अधिकृत प्रचालन	यूनिटों की संख्या	क्षेत्रफल प्रति यूनिट (वर्गमीटर	अनुरोध किया गया कुल

		में)	क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)
1. आवासीय अपार्टमेंट			---
क) स्टूडियो अपार्टमेंट	120	40	4800
ख) 1 बीएचके	60	50	3000
ग) 2 बीएचके	60	85	5100
घ) 3 बीएचके	60	120	7200
(1) का योग			20100
2. वाणिज्यिक			
क) बैंक्विट हॉल	1	500	500
ख) रेस्टोरेंट	1	300	300
ग) फूड कोर्ट - 24x7	1	300	300
घ) पब, बार	1	100	100
ङ) व्यवसाय केन्द्र	1	500	500
च) कामर्सियल कॉम्प्लेक्स	1	2600	2600
(2) का योग			4300
3. सुविधाएं			
क) अतिथि गृह	1	800	800
ख) क्लब हाउस / स्वीमिंग पूल / हेल्थ क्लब और यूटिलिटीज	1	5000	5000
ग) सम्मेलन केन्द्र	1	600	600
घ) बैंक	1	400	400
ङ) एटीएम	1	25	25
(3) का योग			6825

विकास आयुक्त, केएएसईजेड ने बताया है कि यह गैर प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए विकासक का पहला अनुरोध है। विकास आयुक्त, केएएसईजेड की ग्राह्य मात्रा और संस्तुत मात्रा का ब्यौरा दर्शाने वाली रिपोर्ट अनुबंध 3 के रूप में संलग्न है।

(iii) मुप्पिरेड्डीपल्ली गांव, टूपरान मंडल, मेडक जिला, आंध्र प्रदेश में बायोटेक तथा संबद्ध गतिविधियों के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स शांता बायोटेक्निक्स लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स शांता बायोटेक्निक्स लिमिटेड द्वारा मुप्पिरेड्डीपल्ली गांव, टूपरान मंडल, मेडक जिला, आंध्र प्रदेश में 10.12 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बायोटेक तथा संबद्ध गतिविधियों के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड 13 अगस्त, 2010 को अधिसूचित किया गया था। विकासक ने प्रसंस्करण क्षेत्र में निम्नलिखित अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध किया है :

क्र. सं.	अधिकृत प्रचालन	यूनिटों की संख्या	यथालागू एफएसआई / एफएआर मानदंड के अनुसार प्रति यूनिट क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	कुल क्षेत्रफल (वर्गमीटर में) / क्षमता (मेगावाट में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

1.	बॉयलर - 6 टीपीएच, 10.5 बार, एफओ फायर्ड (वितरण के लिए इंसुलेटेड पाइप सहित गर्म पानी और वाष्प का सृजन)	एक सेट	---	---
2.	लांड्री वाशिंग एंड सर्विसेज	एक लॉट	---	---
3.	कंप्रेस्ड एयर प्रदान करने के लिए 300 सीएफएम की क्षमता का स्क्रू टाइप एयर कंप्रेशर	2	---	---

विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने विकासक के अनुरोध की सिफारिश की है। अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 44.5 : क्षेत्रफल में वृद्धि / कटौती के लिए अनुरोध

(i) सत्यावेदु और वर्दायु पलेम मंडल, आंध्र प्रदेश में अधिसूचित बहु उत्पाद एसईजेड के क्षेत्रफल में वृद्धि के मैसर्स श्री सिटी प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

1538.123 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उक्त एसईजेड अधिसूचित हो गया था। अब विकासक ने एसईजेड की 379.328 हेक्टेयर भूमि को विमुक्त करने का अनुरोध किया है जिससे एसईजेड का क्षेत्रफल 1158.795 हेक्टेयर हो जाएगा। विकासक ने बताया है कि निर्यात बाजार में मंदी के कारण एसईजेड के लिए मांग घट गई है। इसके अलावा भारत में घरेलू मांग में अधिक वृद्धि के कारण औद्योगिक डीटीए भूमि के लिए मांग बढ़ गई है। विकासक ने यह भी बताया है कि वे भारतीय एवं विदेशी कंपनियों से गैर एसईजेड क्षेत्र में भूमि की अधिक मात्रा के लिए अनुरोध प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए गैर एसईजेड क्षेत्र के लिए मांग को पूरा करने के लिए, जिससे स्थानीय इलाके में रोजगार का सृजन होगा और क्षेत्र के लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठेगा, विकासक ने एसईजेड के रूप में अधिसूचित कुछ भूमि को डीटीए क्षेत्र में परिवर्तित करने का निर्णय लिया है।

विकासक ने विमुक्त की जाने वाली भूमि के संबंध में प्राप्त किए गए ड्यूटी लाभों को लौटाने का वचन दिया है और यह भी कहा है कि प्रस्तावित विमुक्तीकरण के बाद भी शेष भूमि की सन्निकटता बनी रहेगी और न्यूनतम भूमि की आवश्यकता पूरी होगी।

क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 44.6 : विमुक्त करने के लिए अनुरोध

(i) 11.936 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में ग्राम पंडा, तहसील माहू, जिला इंदौरा, मध्य प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए मैसर्स मेडिकैप्स आईटी पार्क प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

11.936 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 31 अगस्त, 2006 को अधिसूचित किया गया था। अब विकासक ने यह कहते हुए एसईजेड को विमुक्त करने का अनुरोध किया है कि वर्तमान बाजार परिदृश्य के कारण परियोजना को लागू करना संभव प्रतीत नहीं होता है। विकासक ने यह भी कहा है कि एसईजेड में

विकास का कोई कार्य नहीं हुआ है और इस प्रकार उन्होंने एसईजेड अधिनियम / नियमावली के तहत कोई ड्यूटी लाभ प्राप्त नहीं किया है।

विमुक्त करने के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(ii) 141.65 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में हिंदूपुर, जिला अनंतपुर, आंध्र प्रदेश में परिधान के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए मैसर्स नियोजेन प्रापर्टीज प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

141.65 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 13 जून, 2007 को अधिसूचित किया गया था। इसके बाद, 08 जून, 2010 को आयोजित बैठक में अनुमोदन बोर्ड ने विकासक के एसईजेड के 40.80 हेक्टेयर को विमुक्त करने के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की थी जिससे एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 100.84 हेक्टेयर हो गया। तथापि, एसईजेड के क्षेत्रफल को कम करने वाली अधिसूचना अभी तक जारी नहीं हुई है।

अब विकासक ने 100.84 हेक्टेयर के शेष क्षेत्रफल को विमुक्त करने के लिए अनुरोध किया है। इस अनुरोध के साथ विकासक ने संपूर्ण एसईजेड को विमुक्त करने की मांग की है। विकासक ने कहा है कि एसईजेड को लागू करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए। तथापि, सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद कारोबारी संस्थाएं एसईजेड में यूनिटें स्थापित करने की इच्छुक नहीं थीं। उनकी नजर में डीईपीबी स्कीम अधिक लाभप्रद है क्योंकि यह उनको घरेलू तथा निर्यात बाजार दोनों से मांग को पूरा करने के लिए अधिक लोच प्रदान करती है। इन परिस्थितियों में उनके द्वारा डीटीए लोकेशन को प्राथमिकता दी जा रही है क्योंकि एसईजेड से प्रचालन करने पर वे निर्यात बाध्यता तथा प्रक्रियागत जटिलताओं से बंध जाते हैं। इसकी वजह से एसईजेड सुविधा बेकार पड़ी हुई है।

विमुक्त करने के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(iii) 14.6 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में देहरादून, उत्तराखंड में आईटी / आईटीईएस के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए स्टेट इंडस्ट्रियल डवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड का अनुरोध

14.6 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 16 जून, 2008 को अधिसूचित किया गया था। विकासक ने अब यह कहते हुए एसईजेड को विमुक्त करने के लिए अनुरोध किया है कि देहरादून में स्थापित साफ्टवेयर यूनिटें मुख्य रूप से घरेलू ट्रैफिक एरिया / एसटीपीआई स्कीम में काम कर रही हैं और इसलिए आईटी पार्क के रूप में प्रचालन करने पर प्रचालन में अधिक लोच प्राप्त होता है। विकास आयुक्त, नोएडा एसईजेड ने विकासक के अनुरोध की सिफारिश की है तथा सूचित किया है कि एसईजेड में एक भी यूनिट नहीं है और यह भी कि विकासक ने कोई ड्यूटी लाभ प्राप्त नहीं किया है।

विमुक्त करने के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

मद संख्या 44.7 : औपचारिक अनुमोदन को वापस लेने के लिए अनुरोध

(i) खोपोली, जिला रायगड़, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स माडर्न इंडिया प्रापर्टी डवलपर्स लिमिटेड को प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन को वापस लेना

एलओए दिनांक दिसंबर, 2009 के माध्यम से तालुक खोपोली, जिला रायगड़, महाराष्ट्र में 14.77 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स माडर्न इंडिया प्रापर्टी डवलपर्स लिमिटेड को औपचारिक मंजूरी प्रदान की गई थी। यह एसईजेड अभी तक अधिसूचित नहीं हुआ

है। अब विकासक ने यह कहते हुए औपचारिक अनुमोदन को वापस लेने का अनुरोध किया है कि कंपनी के निदेशक मंडल ने एसईजेड के विकास की योजना का पुनर्मूल्यांकन किया है तथा निर्णय लिया है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में चल रही अनिश्चितताओं, आईटी / आईटीईएस सेक्टर पर इसके प्रभाव तथा प्रस्तावित प्रत्यक्ष कर संहिता के तहत कराधान को देखते हुए एसईजेड का विकास करना वित्तीय दृष्टि से लाभप्रद नहीं होगा। विकासक ने यह भी सूचित किया है कि औपचारिक रूप से अनुमोदित एसईजेड में अभी तक विकास / निर्माण का कोई कार्य नहीं हुआ है और इसलिए आज तक उन्होंने कोई राजकोषीय लाभ प्राप्त नहीं किया है।

औपचारिक अनुमोदन को वापस लेने के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

मद संख्या 44.8 : औपचारिक अनुमोदनों की पहली बार वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) मन्नूर वलारपुरम गांव, श्रीपेरम्बदूर तालुक, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु में एफटीडब्ल्यूज़ेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 22 मई, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स जे मातादी फ्री ट्रेड जोन प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(ii) सिपकॉट औद्योगिक परिसर, रानीपेट, फेज 3, तमिलनाडु में इंजीनियरिंग गुड्स के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 29 जुलाई, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए स्टेट इंडस्ट्रीज प्रमोशन कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड (सिपकॉट) का अनुरोध

(iii) जयपुर, राजस्थान में हस्तशिल्प के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 22 अप्रैल, 2011 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स महिंद्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड का अनुरोध

(iv) जयपुर, राजस्थान में आटोमोटिव / आटोमोटिव कंपोनेंट सहित लाइट इंजीनियरिंग के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 22 अप्रैल, 2011 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स महिंद्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड का अनुरोध

(v) जमदोली गांव, जयपुर, राजस्थान में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 06 जनवरी, 2011 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स जेनपैक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर (जयपुर) प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(vi) बीकानेर, राजस्थान में टेक्सटाइल के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 17 फरवरी, 2011 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स आरएनबी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(vii) आदिबाटला गांव, इब्राहितपट्टनम मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 03 फरवरी, 2011 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड का अनुरोध

(viii) गांधीनगर - सरखेज हाइवे, गांधीनगर, गुजरात में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 06 जनवरी, 2011 के बाद बढ़ाने के लिए गुजरात औद्योगिक विकास निगम (जीआईडीसी) का अनुरोध

(ix) छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 18 जून, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स राइटर्स एंड पब्लिशर्स लिमिटेड का अनुरोध

विकासक ने पहली बार औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए विलंब से अनुरोध किया है। अनुमोदन बोर्ड विलंब को माफ करने पर भी विचार कर सकता है।

(x) कुरूक्कावला गांव, रेनीगुंटा मंडल, चित्तूर जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 11 अक्टूबर, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एपीआईआईसी) का अनुरोध

विकासक ने पहली बार औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए विलंब से अनुरोध किया है। अनुमोदन बोर्ड विलंब को माफ करने पर भी विचार कर सकता है।

(xi) सर्पावरम गांव, काकीनाडा मंडल, पूर्वी गोदावरी जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 11 अक्टूबर, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एपीआईआईसी) का अनुरोध

विकासक ने पहली बार औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए विलंब से अनुरोध किया है। अनुमोदन बोर्ड विलंब को माफ करने पर भी विचार कर सकता है।

(xii) फेज 3, जैव प्रौद्योगिकी पार्क, काराकापटला गांव, मुलुगू मंडल, मेडक जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 21 अगस्त, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स पार्श्वनाथ एसईजेड लिमिटेड का अनुरोध

विकासक ने पहली बार औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए विलंब से अनुरोध किया है। अनुमोदन बोर्ड विलंब को माफ करने पर भी विचार कर सकता है।

मद संख्या 44.9 : औपचारिक अनुमोदनों की दूसरी बार वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) क्रुशनूर, जिला नांदेड़, महाराष्ट्र में फार्मास्युटिकल के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 04 अप्रैल, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी) का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 5 अप्रैल, 2006 के माध्यम से 150 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 150 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 11 जनवरी, 2007 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को औपचारिक अनुमोदन का पहला विस्तार प्रदान किया गया है जो 04 अप्रैल, 2010 तक वैध था। विकासक ने यह कहते हुए अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है कि अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण विकास कार्यों की गति धीमी हो गई है। विकासक ने दूसरी बार औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए विलंब से अनुरोध किया है। अनुमोदन बोर्ड विलंब को माफ करने पर भी विचार कर सकता है।

(ii) अतिरिक्त लातुर, जिला लातुर, महाराष्ट्र में कृषि प्रसंस्करण उद्योग के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 04 अप्रैल, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी) का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 5 अप्रैल, 2006 के माध्यम से 200 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 200 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 15 जनवरी, 2007 को अधिसूचित किया गया था। इसके बाद, 03 फरवरी, 2010 को एसईजेड से 61 हेक्टेयर का क्षेत्रफल विमुक्त किया गया जिससे एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 139 हेक्टेयर हो गया। विकासक को औपचारिक अनुमोदन का पहला विस्तार प्रदान किया गया है जो 04 अप्रैल, 2010 तक वैध है। विकासक ने यह कहते हुए अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है कि अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण विकास कार्यों की गति धीमी हो गई है। विकासक ने दूसरी बार औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए विलंब से अनुरोध किया है। अनुमोदन बोर्ड विलंब को माफ करने पर भी विचार कर सकता है।

(iii) नंदगांवपेठ, जिला अमरावती, महाराष्ट्र में बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 02 अप्रैल, 2010 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी) का अनुरोध

एलओए दिनांक 03 अप्रैल, 2006 के माध्यम से विकासक को 1010 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 1008.36 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 31 अक्टूबर, 2008 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को औपचारिक अनुमोदन का पहला विस्तार प्रदान किया गया है जो 02 अप्रैल, 2010 तक वैध है। विकासक ने यह कहते हुए अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है कि अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण विकास कार्यों की गति धीमी हो गई है। विकासक ने दूसरी बार औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए विलंब से अनुरोध किया है। अनुमोदन बोर्ड विलंब को माफ करने पर भी विचार कर सकता है।

(iv) ग्राम बेहरामपुर, जिला गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 13 नवंबर, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स जीपी रियाल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

एलओए दिनांक 14 नवंबर, 2006 के माध्यम से विकासक को उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 18.86858 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 4 मई, 2009 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को औपचारिक अनुमोदन का पहला विस्तार प्रदान किया गया है जो 13 नवंबर, 2010 तक वैध था। परियोजना को पूरा करने के लिए विकासक को कुछ और समय की आवश्यकता है और इसलिए उन्होंने वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। इसके अलावा 2.16 हेक्टेयर भूमि को विमुक्त करने तथा 4.88156 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि की अधिसूचना जारी करने के लिए विकासक का अनुरोध हरियाणा सरकार से स्पष्टीकरण के लिए लंबित है।

(v) ग्राम भोंड़सी, तहसील सोहना, जिला गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 05 नवंबर, 2010 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स एसेंडेंट एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 06 नवंबर, 2006 के माध्यम से 15.20 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 12.5975 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त

एसईजेड 02 मई, 2008 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को औपचारिक अनुमोदन का पहला विस्तार प्रदान किया गया है जो 5 नवंबर, 2010 तक वैध था। विकासक ने यह कहते हुए वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है कि कुल परियोजना एवं विकास के मास्टर प्लान में सीमाओं को दूर करने के लिए अधिसूचना के लिए अतिरिक्त भूमि के अधिग्रहण को ध्यान में रखते हुए विकास कार्य में विलंब हुआ है।

मद संख्या 44.10 : औपचारिक अनुमोदनों की तीसरी बार वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) वाजुज, औरंगाबाद, महाराष्ट्र में इंजीनियरिंग के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 06 अप्रैल, 2011 के बाद तीसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स बजाज होल्डिंग्स एंड इनवेस्टमेंट लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 7 अप्रैल, 2006 के माध्यम से 100 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 100.26 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 17 अप्रैल, 2007 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को दो बार समय विस्तार प्रदान किया जा चुका है। दूसरी बार बढ़ाई गई अवधि 06 अप्रैल, 2011 तक वैध है। विकासक ने वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है ताकि वे परियोजना को पूरा कर सकें। परियोजना को लागू करने के लिए विकासक द्वारा किए गए कार्यों का ब्यौरा अनुबंध 4 के रूप में संलग्न है। औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि तीसरी बार बढ़ाने के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

मद संख्या 44.11 : सैद्धांतिक अनुमोदन की अवधि दूसरी बार बढ़ाने के लिए अनुरोध

क्र. सं.	विकासक का नाम	सेक्टर और क्षेत्र	एसईजेड का लोकेशन	सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता समाप्त होने की तिथि को विकासक के कब्जे में भूमि का प्रतिशत
1.	मैसर्स औरंगाबाद एसईजेड लिमिटेड	रत्न और आभूषण, 102 हेक्टेयर	औरंगाबाद, महाराष्ट्र	एलओए दिनांक 07 जनवरी, 2008 के माध्यम से सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई थी। विकासक को औपचारिक अनुमोदन का पहला विस्तार प्रदान किया जा चुका है जो 06 जनवरी, 2011 तक वैध है। विकासक ने बताया है कि अधिग्रहण की प्रक्रिया अभी चल रही है और भूमि का अधिग्रहण करने के लिए वे एमआईडीसी तथा निजी भूमि स्वामियों के साथ निकटता से बातचीत कर रहे हैं। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए विकासक ने औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि एक साल बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।
2.	मैसर्स नागपुर मल्टी प्रॉडक्ट एसईजेड लिमिटेड	बहु उत्पाद, 1000 हेक्टेयर	नागपुर, महाराष्ट्र	एलओए दिनांक 09 जनवरी, 2008 के माध्यम से सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई थी। विकासक को औपचारिक अनुमोदन का पहला विस्तार प्रदान किया जा चुका है जो 08 जनवरी, 2011 तक वैध है। विकासक ने बताया है कि अधिग्रहण की प्रक्रिया अभी चल रही है तथा वे भूमि के अधिग्रहण के लिए एमआईडीसी तथा मंत्रालय के साथ बातचीत कर रहे हैं। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए विकासक ने औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि एक साल बढ़ाने के लिए

				अनुरोध किया है।

मद संख्या 44.12 : मैसर्स इंडियाबुल्स इंडस्ट्रियल इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा ग्राम मुसलगांव और गुलवंच, तालुक सिन्नार, जिला नासिक, महाराष्ट्र में विकसित किए जा रहे बहु उत्पाद्य एसईजेड में सह विकासक मैसर्स इंडियाबुल्स रियलटेक लिमिटेड का संयंत्र की क्षमता 1350 मेगावाट से बढ़ाकर 2700 मेगावाट करने के लिए अनुरोध

नासिक, महाराष्ट्र में 1006.96 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स इंडियाबुल्स इंडस्ट्रियल इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा विकसित किया जा रहा बहु उत्पाद्य एसईजेड 27 अक्टूबर, 2009 को अधिसूचित किया गया था। 1200 मेगावाट का विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स इंडियाबुल्स रियलटेक लिमिटेड का अनुरोध 15 दिसंबर, 2009 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की 37वीं बैठक में अनुमोदित किया गया था। इसके अलावा 11 फरवरी 2010 को आयोजित बैठक में अनुमोदन बोर्ड ने संयंत्र की क्षमता 1200 मेगावाट से बढ़ाकर 1350 मेगावाट करने के लिए मैसर्स इंडियाबुल्स रियलटेक लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की थी। अब भावी मांग में वृद्धि तथा अवसंरचना / सामान्य सुविधाओं के इष्टतम उपयोग के माध्यम से विद्युत उत्पादन की लागत में कटौती को ध्यान में रखते हुए सह विकासक ने विद्युत संयंत्र की क्षमता 1350 मेगावाट से बढ़ाकर 2700 मेगावाट करने का प्रस्ताव किया है। विकासक ने भी विद्युत संयंत्र की क्षमता में इस वृद्धि को सुगम बनाने के लिए 101.71 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि का आवंटन करने का आश्वासन दिया है। सह विकासक ने यह भी बताया है कि संयंत्र की क्षमता में वृद्धि से महाराष्ट्र में समग्र औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और यह राज्य में रोजगार सृजन में काफी योगदान करेगा। इस क्षमता वृद्धि के लिए 6515 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश की आवश्यकता होगी और यह लगभग 2000 लोगों को परोक्ष रोजगार प्रदान करने के अलावा 250 व्यक्तियों को सीधा रोजगार देगा।

विद्युत संयंत्र की क्षमता 1350 मेगावाट से बढ़ाकर 2700 मेगावाट करने के लिए सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

मद संख्या 44.13 : मैसर्स दाहेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड द्वारा जिला भड़ूच, गुजरात में विकसित किए जा रहे बहु उत्पाद्य एसईजेड में सह विकासक मैसर्स टोरेंट एनर्जी लिमिटेड का विद्युत संयंत्र की क्षमता 1500 मेगावाट से बढ़ाकर 1600 मेगावाट करने के लिए अनुरोध

भड़ूच, गुजरात में 1718-93-87 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 20 दिसंबर, 2006 को अधिसूचित किया गया था। मैसर्स टोरेंट एनर्जी लिमिटेड को 22 सितंबर 2008 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में 1500 मेगावाट तक के विद्युत उत्पादन और आवश्यक पारेषण एवं वितरण नेटवर्क के लिए उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक के रूप में अनुमोदित किया है। सह विकासक ने कहा है कि चयनित प्लांट एवं गैस टर्बाइन के कनफिगरेशन के आधार पर तथा एसईजेड में विद्युत की मांग को देखते हुए और पीसीपीआईआर एवं डीएमआईसी सहित एसईजेड क्षेत्र में तेजी से औद्योगिक विकास को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने अब कुल 1600 मेगावाट (4x400 मेगावाट की सीसीपीपी यूनिटें) उत्पादन क्षमता स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। टीईएल ने पहले चरण में कुल 1200 मेगावाट की 400 मेगावाट की 3 यूनिटें स्थापित करने और दूसरे चरण में 400 मेगावाट की एक और यूनिट स्थापित करने का निर्णय लिया है।

इसलिए सह विकासक ने विद्युत परियोजना के लिए उत्पादन क्षमता 1500 मेगावाट से बढ़ाकर 1600 मेगावाट करने के लिए अपने प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान करने का अनुरोध किया है।

सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

मद संख्या 44.14 : क्षेत्र परिवर्तित करने / क्षेत्र की ब्राड बैंडिंग के लिए अनुरोध

(i) अनेकल तालुक, बंगलौर, कर्नाटक में "जैव प्रौद्योगिकी" के लिए एसईजेड के सेक्टर की बायोटेक एवं फार्मास्युटिकल उत्पादों को शामिल करते हुए "जैव फार्मास्युटिकल्स" के रूप में ब्राड बैंडिंग के लिए मैसर्स बायोकॉन लिमिटेड का अनुरोध

अनेकल तालुक, बंगलौर, कर्नाटक में 35.55 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में "जैव प्रौद्योगिकी" के लिए उपर्युक्त क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड 01 अगस्त, 2006 को अधिसूचित किया गया था। अब विकासक ने बायोटेक तथा फार्मास्युटिकल उत्पाद दोनों को शामिल करने के लिए एसईजेड के सेक्टर की बायो फर्मास्युटिकल एसईजेड के रूप में ब्राड बैंडिंग के लिए अनुरोध किया है। सेक्टर की ब्राड बैंडिंग के लिए के लिए विकासक द्वारा प्रदान किया गया विस्तृत औचित्य अनुबंध 5 के रूप में संलग्न है।

विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(ii) "टेक्सटाइल उत्पाद, असेसरीज तथा हस्तशिल्प की सभी मद" को शामिल करके "हस्तशिल्प" के लिए एसईजेड के सेक्टर की ब्राड बैंडिंग के लिए मैसर्स महिंद्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड का अनुरोध

जयपुर, राजस्थान में 102.7659 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में "हस्तशिल्प" के लिए उपर्युक्त क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड 06 जनवरी, 2009 को अधिसूचित किया गया था। 18 नवंबर 2010 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में टेक्सटाइल उत्पाद, असेसरीज तथा हस्तशिल्प की सभी मदों के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के रूप में हस्तशिल्प के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की ब्राड बैंडिंग के लिए विकासक के अनुरोध पर अनुमोदन बोर्ड द्वारा विचार किया गया तथा आस्थगित कर दिया गया क्योंकि विकासक से हस्तशिल्प से संबंधित मदों को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करने का अनुरोध किया गया जिसके बाद अनुमोदन बोर्ड द्वारा उस पर विचार किया जा सकता है। विकासक का जवाब अनुबंध 6 के रूप में संलग्न है।

विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 44.15 : एसईजेड से दालों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को अनुमत करने के लिए मैसर्स उमा एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड जो एफएसईजेड की एक यूनिट है, का अनुरोध

एसईजेड में तथा एसईजेड से मसूर दाल की प्रोसेसिंग और निर्यात के लिए 14 अक्टूबर 2008 को मैसर्स उमा एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को एलओए प्रदान किया गया था। इसके बाद, यूनिट का स्टेटस एलओए दिनांक 10 नवंबर, 2008 के माध्यम से मसूर दाल की 'प्रसंस्करण यूनिट' से बदलकर 'अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यूनिट' किया गया। तथापि, चूंकि दालें निर्यात की निषिद्ध सूची में हैं इसलिए यूनिट को प्रदान की गई मंजूरी निलंबित कर दी गई। यूनिट इस बात के लिए काफी दबाव डाल रही है कि दालों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में उन पर लगाया गया निलंबन हटाया जाए क्योंकि यह दालों का आयात करेगी तथा डीटीए से नहीं खरीदेगी। विकास आयुक्त, एफएसईजेड ने भी इस मामले में स्पष्टीकरण के लिए अनुरोध किया है। तद्नुसार, 09 अप्रैल, 2010 को आयोजित बैठक में अनुमोदन बोर्ड के समक्ष मामले को रखा गया था जिसमें अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि ये बहुत संवेदनशील उत्पाद हैं और इन उत्पादों के आयात एवं निर्यात के लिए स्पष्ट नीति की आवश्यकता

है। ऐसी नीति के उपलब्ध न होने तक, अनुमोदन बोर्ड ने मैसर्स उमा एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

उल्लेखनीय है कि 07 सितंबर, 2010 को एसईजेड नियमावली में एक संशोधन किया गया है जिसके द्वारा एसईजेड नियमावली के नियम 27 (1) के दूसरे परंतुक के बाद निम्नलिखित परंतुक शामिल किया गया है :

"परंतु यह भी कि अनुमोदन बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से विशेष आर्थिक क्षेत्र में बाहर से बाहर किसी स्थान से विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकासक या यूनिट द्वारा निषिद्ध मदों का आयात किया जा सकता है",

उपर्युक्त संशोधन को ध्यान में रखते हुए, फाल्टा एसईजेड में अपनी यूनिट से दालों को प्रोसेस करने और पुन: निर्यात करने की अनुमति प्रदान करने के लिए मैसर्स उमा एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

मद संख्या 44.16 : मैसर्स मुंद्रा पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड (एमपीएसईजेडएल) द्वारा मुंद्रा, कच्छ, गुजरात में विकसित किए जा रहे बहु उत्पाद्र एसईजेड में दाल प्रसंस्करण यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स अडानी विलमार लिमिटेड का अनुरोध

कच्छ, गुजरात में 6472.8684 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स मुंद्रा पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड द्वारा बहु उत्पाद्र एसईजेड अधिसूचित किया गया है। मैसर्स अडानी विलमार लिमिटेड ने एसईजेड में एक दाल प्रसंस्करण यूनिट स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। प्रस्तावित यूनिट की विनिर्माण क्षमता 400 मीट्रिक टन प्रतिदिन होगी तथा लगभग 200 मीट्रिक टन प्रतिदिन की सफाई क्षमता होगी। बताया गया है कि 5 वर्षों में यूनिट लगभग 409 करोड़ रुपए के समतुल्य निवल विदेशी मुद्रा का सृजन कर सकती है और लगभग 116 लोगों को रोजगार प्रदान कर सकती है। यूनिट ने विकास आयुक्त, मुंद्रा पोर्ट एसईजेड के पास आवेदन किया है।

उल्लेखनीय है कि 07 सितंबर, 2010 को एसईजेड नियमावली में एक संशोधन किया गया है जिसके द्वारा एसईजेड नियमावली के नियम 27 (1) के दूसरे परंतुक के बाद निम्नलिखित परंतुक शामिल किया गया है :

"परंतु यह भी कि अनुमोदन बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से विशेष आर्थिक क्षेत्र में बाहर से बाहर किसी स्थान से विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकासक या यूनिट द्वारा निषिद्ध मदों का आयात किया जा सकता है",

तदनुसार मुंद्रा पोर्ट एसईजेड में दालों के प्रसंस्करण के लिए यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स अडानी विलमार लिमिटेड का अनुरोध विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

मद संख्या 44.17 : ट्रांसशिपमेंट तथा अन्य कार्गो के भंडारण के लिए मैसर्स मुंद्रा पोर्ट एसईजेड लिमिटेड का अनुरोध

कच्छ, गुजरात में 6472.8684 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स मुंद्रा पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड द्वारा बहु उत्पाद्र एसईजेड अधिसूचित किया गया है। विकासक ने ऐसे ग्राहकों को एसईजेड में भंडारण की सेवाएं प्रदान करने का प्रस्ताव किया है जो भारत को अपना क्षेत्रीय एकत्रीकरण एवं वितरण केन्द्र बनाना चाहते हैं। विकासक ने विदेशी आपूर्तिकर्ताओं / क्रेताओं के माल का भंडारण करने और संभालने तथा नियम 18(5) में प्रावधान के अनुसार स्वामी के अनुदेशों के अनुसार उनको डिस्पैच करने का प्रस्ताव किया है ताकि विदेशी संस्थाएं किसी बाधा के बगैर ट्रांसशिपमेंट की अपनी गतिविधियों को पूरा कर सकें। इस प्रक्रिया के अंग के रूप में विकासक ने पैकेजिंग, लेबलिंग, पॉलिश, ब्लेंडिंग आदि जैसी आनुषंगिक सेवाएं प्रदान करने का भी प्रस्ताव किया है। चूंकि वेयरहाउस कीपर के रूप में भंडारित किए जाने वाले कुछ उत्पाद एसईजेड नियमावली 2006 के

नियम 26, 27 और 45 के अनुसरण में निर्यात के लिए निषिद्ध हैं और/या प्रतिबंधित हैं, इसलिए विकासक ने इसके लिए अनुमोदन बोर्ड के अनुमोदन के लिए अनुरोध किया है। जिन उत्पादों के लिए अनुमोदन की मांग की जा रही है वे इस प्रकार हैं :

क्र. सं.	उत्पाद का विवरण	आयात नीति	निर्यात नीति
1.	पीओएल उत्पद (एचएसडी, एलडीओ, मोटर स्प्रिट, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, नाप्था)	स्टेट ट्रेडिंग इंटरप्राइजेज	फ्री
2.	पीओएल उत्पाद (क्रूड ऑयल)	फ्री	स्टेट ट्रेडिंग इंटरप्राइजेज
3.	कृषि उत्पाद (विभिन्न दालें, बींस, काबुली चना, मसूर, स्प्लिट, तूर, ग्वार बीज आदि)	फ्री	निषिद्ध
4.	कृषि उत्पाद (बासमती से भिन्न चावल, गेहूं)	प्रतिबंधित / एसटीई	निषिद्ध
5.	उर्वरक (यूरिया)	एसटीई	प्रतिबंधित
6.	उर्वरक (डीएपी)	फ्री	प्रतिबंधित

विकासक का अनुरोध अनुबंध 8 के रूप में संलग्न है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 44.18 : चौथे साल के बाद यूनिटों के एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) 4 दिसंबर 2010 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स मास्टेक लिमिटेड जो मैसर्स महिंद्रा वर्ल्ड सिटी एसईजेड, चेन्नई की एक यूनिट है, का अनुरोध

उपर्युक्त आईटी / आईटीईएस में साफ्टवेयर विकास तथा आईटी संबद्ध सेवाओं के लिए यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स मास्टेक लिमिटेड को एलओपी प्रदान किया गया था। यूनिट को विकास आयुक्त, एमईपीजेड द्वारा समय समय पर विस्तार प्रदान किया गया है। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 04 दिसंबर, 2010 तक वैध थी। यूनिट ने 6 माह की अवधि के लिए वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। यूनिट ने बताया है कि उन्होंने मई 2007 में अपने आफशोर डवलपमेंट सेंटर के भवन का निर्माण कार्य शुरू किया था तथा यह मार्च 2009 तक पूरा हो गया। इसके अलावा मंदी के प्रभाव के कारण वे उत्पाद शुरू करने में असमर्थ हैं। यूनिट ने यह भी बताया है कि व्यवसाय को आकृष्ट करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं तथा वैश्विक बाजार में कुछ पैठ जमने की उम्मीद है जिसके साकार होने पर मई 2011 तक प्रचालन आरंभ करना संभव हो जाना चाहिए।

अधिसूचना दिनांक 10 नवंबर 2010 के माध्यम से एसईजेड नियमावली 2006 का नियम 19 (4) संशोधित किया गया है। इस संशोधन से अनुमोदन बोर्ड किसी यूनिट के एलओपी की वैधता अवधि उद्यमी के अनुरोध पर चौथे साल के बाद एक बार में एक साल के लिए पुन: बढ़ाने में समर्थ हो गया है।

उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए 6 माह की अवधि के लिए एलओपी की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए यूनिट का अनुरोध विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(ii) 28 नवंबर 2010 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स विप्रो लिमिटेड जो मैसर्स महिंद्रा वर्ल्ड सिटी एसईजेड, चेन्नई की एक यूनिट है, का अनुरोध

एलओपी दिनांक 29 नवंबर 2006 के माध्यम से उपर्युक्त आईटी / आईटीईएस एसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स विप्रो लिमिटेड को एलओपी प्रदान किया गया था। यूनिट को विकास आयुक्त, एमईपीजेड द्वारा समय समय पर विस्तार प्रदान किया गया है। यूनिट की पिछली बार बढ़ाई गई अवधि सितंबर, 2011 तक वैध थी। यूनिट ने बताया है कि उन्होंने निर्माण कार्य पूरा कर लिया है तथा लगभग 280000 वर्गफीट का विकास किया है तथा लगभग 900 मिलियन रुपए का कुल निवेश किया है। यूनिट ने बताया है कि प्रचालन शीघ्र शुरू होने की उम्मीद है।

अधिसूचना दिनांक 10 नवंबर, 2010 के माध्यम से एसईजेड नियमावली 2006 का नियम 19 (4) संशोधित किया गया है। इस संशोधन से अनुमोदन बोर्ड किसी यूनिट के एलओपी की वैधता अवधि उद्यमी के अनुरोध पर चौथे साल के बाद एक बार में एक साल के लिए पुन: बढ़ाने में समर्थ हो गया है।

उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए 30 सितंबर 2011 तक एलओपी की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए यूनिट का अनुरोध विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(iii) 31 दिसंबर, 2010 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स जायडस बीएसवी फर्मा प्राइवेट लिमिटेड जो मैसर्स जायडस इनफ्रास्क्ट्रचर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अहमदाबाद, गुजरात में विकसित किए जा रहे फर्मास्युटिकल एसईजेड की एक यूनिट है, का अनुरोध

एलओपी दिनांक 2 जनवरी, 2007 के माध्यम से उपर्युक्त फर्मास्युटिकल एसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स जायडस बीएसवी फार्मा प्राइवेट लिमिटेड को एलओपी प्रदान किया गया था। यूनिट को विकास आयुक्त, केएएसईजेड द्वारा समय समय पर विस्तार प्रदान किया गया है। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 31 दिसंबर, 2010 तक वैध थी। यूनिट ने बताया है कि वे यूएस, ईयू एवं जापान के अत्यंत विनियमित बाजारों के लिए बहुत उच्च गुणवत्ता तथा जटिल प्रकृति के निर्यात के लिए निर्मित उत्पादों का विनिर्माण कर रहे हैं तथा निर्यात आरंभ करने में लगने वाली समय सीमा 5-6 वर्ष है। इसलिए यूनिट की वैधता अवधि दो साल के लिए बढ़ाई गई है ताकि वे सभी विनियामक आवश्यकताओं को पूरा कर सकें और निर्यात के लिए लाभप्रद वाणिज्यिक उत्पादन स्थापित कर सकें। यूनिट द्वारा प्रस्तुत विस्तृत औचित्य अनुबंध 7 के रूप में संलग्न है।

अधिसूचना दिनांक 10 नवंबर 2010 के माध्यम से एसईजेड नियमावली 2006 का नियम 19 (4) संशोधित किया गया है। इस संशोधन से अनुमोदन बोर्ड किसी यूनिट के एलओपी की वैधता अवधि उद्यमी के अनुरोध पर चौथे साल के बाद एक बार में एक साल के लिए पुन: बढ़ाने में समर्थ हो गया है।

उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए 31 दिसंबर 2010 के बाद एलओपी की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए यूनिट का अनुरोध विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

मद संख्या 44.19 : मैसर्स समीर इंडस्ट्रीज, केएएसईजेड के मंजूरी पत्र की अवधि बढ़ाने / नवीकरण के लिए के लिए अनुरोध

आयातित स्क्रैप / पुराने एवं प्रयुक्त मशीनरी से रिसाइकल की जाने वाली मदों के विनिर्माण के लिए कांडला एसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स समीर इंडस्ट्रीज को 23 सितंबर 1995 को मंजूरी पत्र जारी किया गया था। यूनिट ने वर्ष 1996 में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया। यूनिट के एलओपी की वैधता अवधि 31 अक्टूबर 2010 को समाप्त हो गई है। यूनिट ने पिछली बार बढ़ाई गई अवधि की समाप्ति से 5 साल की

अगली अवधि के लिए एलओपी की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। इस मामले में विकास आयुक्त, केएएसईजेड से प्राप्त विस्तृत नोट अनुबंध 8 के रूप में संलग्न है।

रिसाइकलिंग के लिए प्रयुक्त माल के आयात में शामिल यूनिटों के एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध पर अनुमोदन बोर्ड द्वारा एसईजेड नियमावली 2006 के नियम 18 के उप नियम 4 के तहत निर्णय लिया जाएगा।

तद्नुसार यूनिट का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

मद संख्या 44.20 : चारदीवारी के निर्माण के लिए अनुरोध

(i) मामिडीपल्ली गांव, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में विमानन के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में चेन लिंक्ड फेंसिंग तथा चिनाई दीवार के निर्माण के लिए मैसर्स जीएमआर हैदराबाद एविएशन एसईजेड लिमिटेड का अनुरोध

ग्राम मामिडिपल्ली, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में 101.92 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स जीएमआर हैदराबाद एविएशन एसईजेड लिमिटेड द्वारा विमानन क्षेत्र के लिए विकसित किया जा रहा एसईजेड 20 अक्टूबर, 2009 को अधिसूचित किया गया था।

एसईजेड नियमावली 2006 के नियम 11 (2) में यह प्रावधान है कि एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में प्रवेश और निकास के निर्दिष्ट बिंदु होंगे तथा ऐसे उपायों के माध्यम से वे पूर्णत: सुरक्षित होंगे जो अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदित किए जा सकते हैं। नियम 11 (2) के दूसरे परंतुक में यह प्रावधान है कि यदि विकासक 240 सेंटीमीटर ऊंची दीवार का निर्माण करने का प्रस्ताव करता है जिसके शीर्ष 60 सेंटीमीटर पर कटीले तार की फेंसिंग होगी तथा प्रवेश और निकास का एकल बिंदु होगा तो अलग से अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी।

इस समय 251.85 एकड़ के कुल अधिसूचित क्षेत्रफल में से 186.5 एकड़ भूमि प्रसंस्करण क्षेत्र के रूप में अनुमोदित की गई है। विकासक ने 186.5 एकड़ के प्रसंस्करण क्षेत्र की चेन लिंक्ड फेंसिंग के लिए मंजूरी प्रदान करने के लिए अनुरोध किया है। विकासक ने बताया है कि चारदीवारी के स्थान पर चेन लिंक्ड फेंसिंग से भविष्य में एसईजेड के पूरे 251.85 एकड़ में प्रसंस्करण क्षेत्र का विस्तार करना संभव होगा क्योंकि एयरोस्पेस तथा एविएशन उद्योग में निवेश में कई गुना वृद्धि होने की उम्मीद है। विकासक ने एसईजेड के पूरब और पश्चिम में चिनाई की चारदीवारी का निर्माण करने का भी प्रस्ताव किया है। विकासक ने यह भी बतया है कि एसईजेड के दक्षिणी भाग में चिनाई की दीवार का निर्माण किया जा चुका है जो एसईजेड नियमावली तथा नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो की आवश्यकताओं को पूरा करती है। विकासक ने बताया है कि एसईजेड के एक ओर एयरपोर्ट की चारदीवारी है जहां एयरपोर्ट के विभिन्न बिंदुओं पर सीआईएसएफ के सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। एयरपोर्ट एरिया जिसके अंतर्गत यह एसईजेड आता है, अपने आप में सुरक्षित क्षेत्र है तथा अत्यधिक चौकसी बरती जाती है। इसलिए विकासक ने निम्नलिखित अनुरोध किया है :

(i)	**उत्तर की ओर चेन लिंक्ड फेंसिंग का निर्माण**	**1391.5 रनिंग मीटर (आरएम)**
(ii)	**पूरब और पश्चिम में चिनाई की दीवार का निर्माण**	**984 आरएम और 740 आरएम (क्रमश: पूरब और पश्चिम में)**

विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने विकासक के अनुरोध की सिफारिश की है तथा एसईजेड नियमावली 2006 के नियम 11 (2) के अनुसार के अनुसार इसे अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है। प्रस्तावित चेन लिंक्ड फेंसिंग की ड्राइंग के साथ विकासक का अनुरोध अनुबंध 9 के रूप में संलग्न है।

(ii) टाडा मंडल, नेल्लोर जिला, आंध्र प्रदेश में चमड़ा एवं चमड़ा उत्पादों के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में 5 किलोमीटर के क्षेत्रफल में प्रसंस्करण क्षेत्र के चारों ओर शीर्ष 60 सेंटीमीटर की कटीले तार की फेंसिंग के साथ 240 सेंटीमीटर ऊंची चेन लिंक्ड फेंसिंग के निर्माण के लिए मैसर्स भारतीय इंटरनेशनल एसईजेड लिमिटेड का अनुरोध

101.37 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 4 मई, 2009 को अधिसूचित किया गया था। एसईजेड नियमावली 2006 के नियम 11 (2) में यह प्रावधान है कि एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में प्रवेश और निकास के निर्दिष्ट बिंदु होंगे तथा ऐसे उपायों के माध्यम से वे पूर्णत: सुरक्षित होंगे जो अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदित किए जा सकते हैं। नियम 11 (2) के दूसरे परंतुक में यह प्रावधान है कि यदि विकासक 240 सेंटीमीटर ऊंची दीवार का निर्माण करने का प्रस्ताव करता है जिसके शीर्ष 60 सेंटीमीटर पर कटीले तार की फेंसिंग होगी तथा प्रवेश और निकास का एकल बिंदु होगा तो अलग से अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी।

विकासक ने बताया है कि वे चारदीवारी के स्थान पर चेन लिंक्ड फेंसिंग के माध्यम से एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र की चारदीवारी की सुरक्षा बढ़ाना चाहते हैं, जो लगभग 5 किलोमीटर है। विकासक ने बताया है कि क्षेत्र / भूमि की समोच्च रेखा का ध्यान से सर्वेक्षण किया गया है तथा पाया गया है कि एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र से वर्षा जल आसपास की भूमि के प्राकृतिक जलपिंड में प्रवाहित होता है जो जलपिंड के आसपास स्थित धान के खेतों के लिए पानी के फीडर स्रोत के रूप में काम करता है तथा एसईजेड के क्षेत्र का ढलान मुख्य क्षेत्र की ओर है। यदि चारदीवारी का निर्माण किया जाएगा तो यह जलपिंड में पानी के प्राकृतिक प्रवाह में रुकावट पैदा करेगा जिससे क्षेत्र में कृषि के लिए जल ग्रहण क्षेत्र घटेगा। इसलिए विकासक ने प्रसंस्करण क्षेत्र के चारों ओर 5 किलोमीटर के क्षेत्र में शीर्ष 60 सेंटीमीटर की कटीले तार की फेंसिंग के साथ 240 सेंटीमीटर ऊंची चेन लिंक्ड फेंसिंड के निर्माण के लिए मंजूरी प्रदान करने का अनुरोध किया है। विकासक ने सूचित किया है कि फेंसिंग के माध्यम से 51.87 हेक्टेयर के संपूर्ण प्रसंस्करण क्षेत्र की घेराबंदी हो जाएगी। विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने विकासक के अनुरोध की सिफारिश की है तथा एसईजेड नियमावली 2006 के नियम 11 (2) के अनुसार के अनुसार इसे अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है।

मद संख्या 44.21 : बड़ोदरा, गुजरात में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में निर्माण की गतिविधियों के दौरान अस्थायी द्वितीय गेट के लिए मैसर्स लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड का अनुरोध

10 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 18 नवंबर, 2008 को अधिसूचित किया गया था। विकासक ने 31 मार्च 2012 तक की अवधि के लिए पहले से मौजूद एक गेट के अलावा निकास / प्रवेश के लिए एक अतिरिक्त अस्थायी गेट के लिए अनुरोध किया है। इस प्रस्ताव पर विकास आयुक्त, केएएसईजेड से प्राप्त विस्तृत नोट अनुबंध 10 के रूप में संलग्न है।

विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

मद संख्या 44.22 : तीसरे पक्ष (भारतीय एवं विदेशी) के विनिर्माताओं द्वारा विनिर्मित डिफेक्टिव गियर बॉक्स यूनिटों की मरम्मत / रिकंडीशनिंग आदि करने के लिए मैसर्स हंसेन ड्राइव्स लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स हंसेन ड्राइव्स लिमिटेड को विंड टर्बाइन के लिए गियर यूनिटों के लिए सेवाएं प्रदान करने तथा निर्माण करने के लिए मैसर्स सुजलोन इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा हाइटेक इंजीनियरिंग क्षेत्र के लिए विकसित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में 25 सितंबर 2007 को एलओए जारी किया गया था। 23 फरवरी, 2009 को आयोजित बैठक में अनुमोदन बोर्ड ने इसके और इसकी मूल कंपनी (हैंसेन ट्रांसमिशन इंटरनेशनल, बेल्जियम) द्वारा विनिर्मित गियर यूनिटों की मरम्मत करने के लिए यूनिट को मंजूरी प्रदान की थी। तथापि, अनुमोदन बोर्ड ने किसी तीसरे पक्ष - भारतीय एवं विदेशी विनिर्माता द्वारा विनिर्मित गियर बॉक्स की मरम्मत करने और डीटीए में स्थित ग्राहकों को मरम्मत किए गए गियर बॉक्स वापस भेजने के लिए यूनिट के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था। यूनिट ने निम्नलिखित के लिए अनुमोदन प्रदान करने के लिए पुन: अनुरोध किया है :

(क) डीटीए से प्राप्त गियर बॉक्स (विदेशी विनिर्माताओं द्वारा विनिर्मित) की मरम्मत / रिइंजीनियरिंग करना और मरम्मत / रिइंजीनियरिंग का कार्य पूरा हो जाने के बाद डीटीए को वापस भेजना; और

(ख) डीटीए से प्राप्त गियर बॉक्स (किसी डीटीए विनिर्माता द्वारा विनिर्मित) की मरम्मत करना और तीसरे पक्ष के विनिर्माताओं (घरेलू एवं विदेशी) द्वारा विनिर्मित गियर बॉक्स की मरम्मत करना और मरम्मत / रिइंजीनियरिंग का कार्य पूरा हो जाने के बाद उसे डीटीए को वापस भेजना

18 नवंबर 2010 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में अनुरोध पर विचार किया गया तथा विभिन्न स्रोतों से गियर बॉक्स की संभावित मात्रा, जिनकी मरम्मत / सर्विसिंग की जाएगी, सेवाओं के लिए भुगतान की कार्यविधि तथा डीटीए से आने वाले गियर बॉक्स के संबंध में ड्यूटी के भुगतान से संबंधित मुद्दे पर यूनिट द्वारा स्पष्टीकरण के लिए आस्थगित कर दिया गया।

यूनिट द्वारा प्रस्तुत सूचना अनुबंध 11 के रूप में संलग्न है। अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 44.23 : अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अपील

(i) एसईईपीजेड विशेष आर्थिक क्षेत्र, मुंबई में यूनिट स्थापित करने के लिए अनुरोध को अस्वीकार किए जाने के विरूद्ध मैसर्स एरबा डायग्नोस्टिक्स मैनहीम जीएमबीएच की अपील (इसे 18 नवंबर 2010 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में आस्थगित कर दिया गया था)

मैसर्स एरबा डायग्नोस्टिक्स मैनहीम जीएमबीएच ने मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स अर्थात ब्लड टेस्टिंग एनलाइजर्स और स्पेयर पार्ट्स तथा एसेसजरीज के विनिर्माण एवं निर्यात के एसईईपीजेड विशेष आर्थिक क्षेत्र में यूनिट स्थापित करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था। 26 मार्च, 2010 को आयोजित अपनी बैठक में अनुमोदन समिति द्वारा मैसर्स एरबा डायग्नोस्टिक्स मैनहीम जीएमबीएच के अनुरोध पर विचार किया गया तथा अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि समिति ने नोट किया कि प्रमोटर को उल्लंघन के लिए एफटी (डीएंडआर) के तहत दंडित किया गया है। अनुमोदन समिति के निर्णय के बारे में पत्र दिनांक 12 अप्रैल, 2010 के माध्यम से सूचित किया गया।

अनुमोदन समिति के निर्णय से व्यथित मैसर्स एरबा डायग्नोस्टिक्स मैनहीम जीएमबीएच ने अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अपील की है। अनुमोदन बोर्ड ने अपील पर विचार किया। अपीलकर्ता उपस्थित नहीं था। विकास आयुक्त, एसईईपीजेड द्वारा की गई सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए अनुमोदन बोर्ड ने अपील को अस्वीकार कर दिया।

अब मैसर्स एरबा डायग्नोस्टिक्स मैनहीम जीएमबीएच ने यह कहते हुए अभिवेदन दिया है कि अधिकृत प्रतिनिधि के वहां मौजूद होने के बावजूद कुछ भ्रम के कारण अपीलकर्ता के उपस्थित न होने के आधार पर उसकी अपील अस्वीकार कर दी गई। इसलिए उन्होंने अनुरोध किया है कि उनको अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अपने मामले को रखने का अवसर दिया जाए। मैसर्स एरबा डायग्नोस्टिक्स मैनहीम जीएमबीएच द्वारा प्रस्तुत किया गया औचित्य अनुबंध 12 के रूप में संलग्न है।

अपील पुन: विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(ii) एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के अनुरोध को अस्वीकार किए जाने के विरुद्ध मैसर्स पोलीकेम एढेसिव्स प्राइवेट लिमिटेड, जो सूरत एसईजेड की एक यूनिट है, का अनुरोध (इसे 18 नवंबर 2010 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में आस्थगित कर दिया गया था)

टेक्सटाइल एंसिलरीज, फिनिशिंग केमिकल्स आदि, उसके एढेसिव्स एवं केमिकल्स के विनिर्माण के लिए सूरत एसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए 21 जुलाई, 2005 को मैसर्स पोलीकेम एढेसिव्स प्राइवेट लिमिटेड को एलओपी प्रदान किया गया था। विकास आयुक्त, सूरत एसईजेड द्वारा समय समय पर एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाई गई। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 31 मार्च, 2010 तक वैध थी। यूनिट ने विकास आयुक्त, सूरत एसईजेड से 31 दिसंबर, 2010 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध किया था। विकास आयुक्त ने अपने पत्र दिनांक 08 सितंबर, 2010 के माध्यम से वैधता अवधि पुन: नहीं बढ़ाई क्योंकि यूनिट ने एसईजेड नियमावली के नियम 19(4) के तहत अपेक्षा के अनुसार वैधता अवधि या बढ़ाई गई वैधता अवधि के अंदर उत्पादन / अधिकृत प्रचालन आरंभ नहीं किया था। यूनिट को यह भी सूचित किया गया था कि एसईजेड नियमावली के नियम 19 (5) के प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च 2010 से एलओपी की वैधता अवधि समाप्त हो गई है।

उपर्युक्त निर्णय से व्यथित मैसर्स पोलीकेम एढेसिव्स प्राइवेट लिमिटेड ने 31 दिसंबर, 2010 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अपील की है। यूनिट का औचित्य अनुबंध 13 के रूप में संलग्न है।

अपील विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(iii) एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के अनुरोध को अस्वीकार किए जाने के विरुद्ध मैसर्स मरवाल इंडिया, जो सूरत एसईजेड की एक यूनिट है, का अनुरोध (इसे 18 नवंबर 2010 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में आस्थगित कर दिया गया था)

टेक्सटाइल मशीनरी (वाटर जेट) तथा यांत्रिक कंपोनेंट (आटो कंपोनेंट) के विनिर्माण के लिए सूरत एसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स मरवाल इंडिया को 24 मार्च, 2006 का एलओपी प्रदान किया गया था। विकास आयुक्त, सूरत एसईजेड द्वारा समय समय पर एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाई गई। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 23 मार्च, 2010 तक वैध थी। यूनिट ने विकास आयुक्त, सूरत एसईजेड से तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध किया था। विकास आयुक्त ने अपने पत्र दिनांक 28 अप्रैल, 2010 के माध्यम से वैधता अवधि पुन: नहीं बढ़ाई क्योंकि यूनिट ने एसईजेड नियमावली के नियम 19(4) के तहत अपेक्षा के अनुसार वैधता अवधि या बढ़ाई गई वैधता अवधि के अंदर उत्पादन / अधिकृत प्रचालन आरंभ नहीं किया था। यूनिट को यह भी सूचित किया गया था कि एसईजेड नियमावली के नियम 19 (5) के प्रावधानों के अनुसार 23 मार्च 2010 से एलओपी की वैधता अवधि समाप्त हो गई है।

उपर्युक्त निर्णय से व्यथित मैसर्स मरवाल इंडिया ने 23 मार्च, 2010 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अपील की है। यूनिट का औचित्य अनुबंध 14 के रूप में संलग्न है।

अपील विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(iv) एलओपी की ब्राड बैंडिंग के लिए अनुरोध को अस्वीकार करने वाले विकास आयुक्त, एमईपीजेड के आदेश के विरुद्ध मैसर्स एटीसी टायर्स प्राइवेट लिमिटेड जो सिपकॉट एसईजेड, तमिलनाडु की एक यूनिट है, की अपील

रबर के नए न्यूमेटिक टायर, टायर फ्लैप तथा रबर के इनर ट्यूब के विनिर्माण के लिए सिपकॉट एसईजेड, तमिलनाडु में यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स एटीसी टायर्स प्राइवेट लिमिटेड को 3 जुलाई 2008 को एलओपी जारी किया गया था। यूनिट ने 01 दिसंबर, 2009 को वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया है। यूनिट ने विकास आयुक्त, एमईपीजेड से एलओए में अधिकृत प्रचालन के रूप में टायर, इनर टायर, टायर फ्लैप तथा रिम (हवील) अर्थात टायर असेंबली (सेमी / कंप्लीट सेट) के अनुमोदन एवं समावेशन के लिए अनुरोध किया था। 26 नवंबर 2010 को आयोजित यूनिट अनुमोदन समिति की बैठक में यूनिट के अनुरोध पर विचार किया गया तथा अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि यूनिट अनुमोदन समिति का यह मानना था कि यह अनुरोध व्यापार के लिए न कि विनिर्माण के लिए। यूनिट अनुमोदन समिति के निर्णय के बारे में विकासक को पत्र दिनांक 01 दिसंबर 2010 के माध्यम से सूचित किया गया था।

उपर्युक्त निर्णय से व्यथित मैसर्स एटीसी टायर्स प्राइवेट लिमिटेड ने एलओपी में अधिकृत प्रचालन के रूप में टायर असेंबली की आनुषंगिक गतिविधि [(टायर+ट्यूब+फ्लैप+रिम का सेट) या (टायर+ट्यूब+फ्लैप का सेट) या (टायर+ट्यूब का सेट) या (टायर+फ्लैप का सेट) (केवल टायर)] के समावेशन के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अपील की है। यूनिट का औचित्य अनुबंध 15 के रूप में संलग्न है।

अपील विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(v) एलओपी की ब्राड बैंडिंग के लिए अनुरोध को अस्वीकार करने वाले विकास आयुक्त, एमईपीजेड के आदेश के विरुद्ध मैसर्स हंसेन ड्राइव्स लिमिटेड जो सिनेफ्रा इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड एसईजेड, तमिलनाडु की एक यूनिट है, की अपील

मैसर्स हंसेन ड्राइव्स लिमिटेड को विंड टर्बाइन के लिए गियर यूनिटों के लिए सेवाएं प्रदान करने तथा निर्माण करने के लिए मैसर्स सुजलोन इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा हाइटेक इंजीनियरिंग क्षेत्र के लिए विकसित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में 25 सितंबर 2007 को एलओए जारी किया गया था। इसके बाद गियर बाक्स के निर्माण की मरम्मत / रीइंजीनियरिंग तथा रीकंडिशनिंग के लिए तथा विंड टर्बाइन के लिए गियर बाक्स के स्पेयर पार्ट्स में व्यापार से संबंधित सेवाओं को शामिल करने के लिए भी एलओए को संशोधित किया गया था। यूनिट ने अधिकृत सेवा के रूप में "मंडप कीपर सर्विस" के समावेशन के लिए अनुमोदन प्रदान करने की मांग की थी। 26 नवंबर 2010 को आयोजित अपनी बैठक में यूनिट अनुमोदन समिति (यूएसी) द्वारा यूनिट के अनुरोध पर विचार किया गया तथा आस्थगित कर दिया गया क्योंकि यूनिट अनुमोदन समिति का यह मानना था कि जिस सेवा के लिए अनुरोध किया गया है वह निजी खपत से जुड़ी सेवा है। यूनिट अनुमोदन समिति के निर्णय के बारे में यूनिट को पत्र दिनांक 02 दिसंबर, 2010 के माध्यम से सूचित किया गया।

अब यूनिट अनुमोदन समिति के निर्णय से व्यथित यूनिट ने अधिकृत सेवा के रूप में "मंडप कीपर सर्विस" के समावेशन के लिए मंजूरी प्रदान करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अपील की है। अपील दाखिल करने के

लिए यूनिट द्वारा प्रदान किए गए कारणों के साथ मामले का संक्षिप्त ब्यौरा अनुबंध 16 के रूप में संलग्न है। अपील अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

****